न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–30/2020–21

शोभा देवी .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका शोभा देवी, पति– सुन्दर भुईयाँ, साकिन– जरमुने, टोला– मंझिलाडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **186 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	23	2568	10 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **186 R27/2018-19** में दिनांक 18.05.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक द्वारा मौजा जरमुने थाना नं0 108 खाता नं0 23 का खतियान का प्रथम पन्ना संलग्न नहीं करने एवं दाखिल खारिज संबंधित शपथ पत्र जमा नहीं करने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से संबंधित खतियान एवं शपथ पत्र की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **186 R27/2018-19** में दिनांक 18.05.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

30/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

30/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)